न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 26/2017 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2017/00224

प्रार्थी :— बनाम अप्रार्थीगण :—

विकास अधिकारी पंचायत समिति, पाली

1. सोहनी देवी पत्नी दीपाराम जाति मेघवाल निवासी लाम्बिया एवं जिला पाली।
2. ग्राम पंचायत लांबिया तहसील व जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

अधिवक्ता :— प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित
अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री पीथाराम जी उपस्थित

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 22/02/21

यह निगरानी प्रार्थना पत्र विकास अधिकारी पंचायत समिति पाली ने अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 के हक में कथित रूप से पंचायत लाम्बिया द्वारा जारी पट्टा संख्या 69 दिनांक 26.06.1991 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गई है। जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया एवं बहस उभय पक्ष सुनी गई।

सरकारी पैरोकार पंचायत प्रसार अधिकारी पाली ने वक्त बहस कथन किया कि यह प्रकरण जिला जन अभाव अभियोग में उदाराम उप सरपंच द्वारा प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में सतर्कता प्रकरण संख्या 145/2016 दर्ज कर कार्यवाही की गई सतर्कता समिति की बैठक दिनांक 08.12.2016 में किए गए निर्णय की अनुपालना में यह निगरानी पट्टा निरस्त करने हेतु पेश की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 26.06.1991 को पट्टा जारी किया गया इस बाबत ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव नही लिया गया जो ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित प्रस्ताव रजिस्टर के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थियां सोहनी देवी पत्नी दीपाराम के जाति मेघवाल के नाम पट्टा जारी करने से पूर्व किसी प्रकार का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा नहीं लिया गया। पंचायत द्वारा प्रस्ताव के अभाव में जारी पट्टा निरस्त योग्य है। सोहनी देवी पत्नी दीपाराम जाति मेघवाल निवासी लाम्बिया के नाम से 2003—2004 में नवीन इन्द्रा आवास स्वीकृत होकर अप्रार्थिया को ग्राम पंचायत लाम्बिया द्वारा रूपये 20000/— रूपये (अक्षरे बीस हजार रूपये मात्र) का भुगतान भी किया गया। लेकिन उक्त स्वीकृत आवास का निर्माण अप्रार्थिया द्वारा जैर निगरानी पट्टा भूमी पर न कर अप्रार्थिया ने अपने ससुर श्री अमरा पुत्र किशन मेघवालों का बास लाम्बिया के नाम पट्टा संख्या 28 दिनांक 20.03.1978 की आराजी पर कराया गया है। इससे प्रार्थीया के आवासीय भूमी नहीं होने की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है क्योंकि उसके ससुर के नाम पट्टा सुदा आवासीय भूखण्ड था तथा प्रार्थिया के एक देवर है जो गांव में ही अन्य जगह पर निवस कर रहा है तथा प्रार्थिया अपने ससुर के उक्त पट्टा सुदा आवासीय परिसर में ही निवास करती है इस प्रकार प्रार्थीया के ससुर के नाम दो भूखण्ड आवासीय थे एक पर प्रार्थिया का रहवास है दूसरे में उसका दूसरा पुत्र रहता है। उसे भी आवास योजना का लाभ अलग से दिया गया है। इस प्रकार प्रार्थिया के पास आवासीय भूखण्ड होते हुए भी दूसरा भूखण्ड प्राप्त किया है जो शर्त संख्या 7 की पालना नहीं होने से पट्टा निरस्त योग्य है तथा सतर्कता समिति द्वारा मंगवाई गई मौका रिपोर्ट जो पंचायत प्रसार अधिकारी एवं ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत लाम्बिया द्वारा दिनांक [illegible] को तैयार की गई उसके बिन्दु संख्या 6 के अनुसार अप्रार्थिया द्वारा दक्षिण व पश्चिम में 2 फिट तक दीवार बनाई गई है अर्थात शर्त संख्या 8 के अनुसार दो वर्ष में जैर निगरानी भूखण्ड पर निर्माण कार्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:16:58 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश.....................2

जिला कलेक्टर, पाली

नहीं करवाया गया न ही झौपड़ा बनवाया है जबकि इन्द्रा आवास योजना से सरकारी सहायता मिली थी इस प्रकार शर्त संख्या 8 का उल्लंघन अप्रार्थीया द्वारा करने से जैर निगरानी भूखण्ड निरस्त योग्य होने से निगरानी स्वीकार की जाकर जैर निगरानी पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थीया ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा सन 1991 में ग्राम पंचायत लाम्बिया द्वारा जारी किया गया था तब से लेकर आज तक अप्रार्थिया को उक्त पट्टा भूमी पर कब्जा है। इस बाबत सिविल न्यायालय में सिविल वाद संख्या 181/2010 दर्ज हुआ तथा जिसकी डिक्री दिनांक 04.10.2011 को अप्रार्थिया के पक्ष में निर्णित हुई है जो स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा का वाद था। इस बात वर्तमान में अप्रार्थिया के विरूद्ध न तो विकास अधिकारी पाली को निगरानी पेश करने का अधिकार है न ही इस न्यायालय को सुनने का अधिकार है। इसके साथ ही अन्य तीन व्यक्तियों के वाद भी सिविल न्यायालय द्वारा डिक्री हुए है लेकिन अप्रार्थिया के विरूद्ध ही निगरानी प्रस्तुत की गई है। अन्य के विरूद्ध नहीं की गई है जो न्यायोचित नहीं है प्रतियां पत्रावली संलग्न है विकास अधिकारी द्वारा सिविल न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद भी निगरानी पेश की गई है। ग्राम पंचायत जैर निगरानी भूमी पर राजीव गांधी भवन का निर्माण करना चाहती है इस लिए पट्टा निरस्त कराना चाहते हे। जिसे रोका जावे तथा प्रस्तुत निगरानी सिविल न्यायालय द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा व आदेशात्मक निषेधाज्ञा के वाद संख्या 181/2010 में जारी निर्णय दिनांक 14.10.2011 की पालना में खारिज फरमावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन है कि प्रकरण का फैसला सिविल वाद में हो चुका है सिविल वाद का अवलोकन किया सिविल वाद में निर्णय सुनाया गया है। जहां तक कि इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का सवाल है धारा 97 के तहत पंचायत के किसी भी फैसले की वैधानिकता, नियमितता, एवं अशुद्धता की जाँच करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को है जिसका सिविल वाद के फैसले के क्षेत्राधिकार और इस प्रकरण के क्षेत्राधिकार का भिन्न–भिन्न होने से इस प्रकरण में क्षेत्राधिकार के मुद्धे का कोई प्रमाणिक आधार नजर नहीं आता है इस कारण अप्रार्थी की क्षेत्राधिकार सम्बन्धी आपती स्पष्ट रूप से अस्वीकार करने योग्य है।

अप्रार्थीया का पट्टा राजस्थान पंचायत अधिनियम के नियम 267(2) के जरिये निःशुल्क जारी किया गया है जिसके अनुसार निम्न परिस्थितियों में निःशुल्क पट्टा आवंटन करने का प्रावधान है :–

(क) पंचायत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जातियों, ग्रामीण शिल्पियों और भूमीहीन श्रमिको को, जिनके पास स्वयं के गृह–स्थल/गृह नहीं है तथा उन बाढ़ पीड़ितों को भी जिनके गृह बह गये है अथवा गृह स्थल बाढ के कारण से भविष्य में बसने योग्य नहीं है, 150 वर्ग गज तक आबादी भूमि गांव की आबादी में मुफ्त आवंटित कर सकेंगी।

(ख) बाढ़ पीड़ितों को अन्य स्थान/स्थानों पर गृह स्थल आवंटन हेतु, सम्बन्धित पंचायत ऐसे व्यक्तियों से एक परिवचन (अण्डरटेंकिग) सहित प्रार्थना पत्र मांगेगी कि अन्य स्थान/स्थानों पर गृह स्थल आवंटन करने की स्थिति में ,बाढ में बह गयी गृह/गृहस्थल मय समस्त सामान (मेटेरियल) के समस्त भारों से मुक्त स्थिति सम्बन्धित पंचायत में निहित होगी।

अतः नियम से स्पष्ट है कि [illegible] भूमि आवंटन कराए जाने का प्रावधान है। इस प्रकरण में विकास अधिकारी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अप्रार्थिया के नाम पर इंदिरा आवास किसी और जमीन पर स्वीकृत किया गया है। इसलिए अप्रार्थिया को भूमिहीन मानना अनुचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:16:58 IST
Reason: SelfAttested

Ansh

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश....................3

रेकर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि न मिसल न कोई प्रस्ताव रेकर्ड में है। किसी भी प्रस्ताव का विधीमान्य तरीके से पंचायत की बैठक में पारित होना आवश्यक है। यह स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर पक्का कब्जा नहीं है क्योंकि आवास स्थल अन्यत्र स्थल पर बनाया जा चूका है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा जैर निगरानी पट्टे में उल्लेखित शर्त संख्या 8 का उल्लंघन किया जाने से निरस्त किया जाता है यदि अप्रार्थिया निःशुल्क भूखण्ड आवंटन की पात्रता रखती है तो ग्राम पंचायत नियमानुसार कार्यवाही कर सकती है।

निर्णय आज दिनाँक 22/02/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:16:58 IST
Reason: SelfAttested